न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथराम , आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या 41 / 2016

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
जामाराम वल्द राजाजी कौम कलबी निवासी चिमनगढ तहसील रानीवाडा जिला–जालोर		1. रामाराम वल्द मोतीराम 2. अशोक कुमार वल्द मोतीराम 3. लीलादेवी बेवा मोतीराम कौम कलबी 4. भीखाराम वल्द वीराराम 5. पुराराम वल्द वीराराम 6. शंकरलाल वल्द हीराराम 7. हरजीराम वल्द हीराराम कौम कलबी साकिनान चिमनगढ तहसील रानीवाडा 8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रानीवाडा जिला–जालोर

दावा बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादीगण अधिवक्ता श्री बस्तीमल खत्री।
2. प्रतिवादी संख्या 4 से 7 श्री मोहनलाल विश्नोई ।

–: निर्णय :–

दिनांक 08.02.2024

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी व प्रतिवादीगण के सामलाती का खातेदारी खेत खसरा नबंर 278 रकबा 2.70 हैक्टर सरहद मौजा चिमनगढ तहसील रानीवाडा में आया हुआ है, जिस में वादी का 1 / 2 हिस्सा (1.35) हैक्टर है शेष भुमि प्रतिवादीगण 1 से 7 की है। उक्त आराजी वक्त प्रथम सेटलमेन्ट से पुर्व से वाला वल्द चांदाजी व वादी जामाराम के बहिस्सा बराबर दर्ज थी वालाराम के 1 / 2 हिस्सा कि आराजी जरिये उत्तराधिकार व हस्तान्तरण के प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज की गयी। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की सामलाती काश्तकारी की दर्ज है व अपने–अपने हिस्से के अनुसार सामलाती काबिज होकर काश्त करता आ रहे है।
2. उक्त विवादीत आराजी का बंटवाडा नहीं होने से उसके विकास करने एवं ऋण आदी लेने में कठिनाई होती है जिससे आराजी का विधिवत बंटवाडा किया जाना आवश्यक है अतः बंटवाडा का दावा पेश है। बंटवाडा प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दरवल आराजी नहीं करे इसके लिए वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है। बिनायदावा सुर्वप्रथम वक्त प्रथम सेटलमेन्ट पैदा हुआ जब आराजी वादी व स्वर्गीय वाला वल्द चांदाजी के नाम दर्ज [illegible] गयी उसके बाद अभी चन्द रोज पुर्व पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण व [illegible] के [illegible] दरवल आराजी करने की धमकी दी जो बिनायदावा लगातार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:28 IST
Reason: SelfAttested

3. इस्तदुआ वादी निम्न पेश है कि आराजी खेत संख्या 278 रकबा 2.70 हैक्टर सरहद मौजा चिमनगढ का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा यिका जाकर वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से दर्ज किये जावे व भुमि का लगान अलग–अलग तय किया जावे। व स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण के इस अमर की जारी की जावे कि वादी के कब्जे काश्त में दखल न करे नहीं करावे।
4. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बाद तामिल समन कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी संख्या 4 से 7 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जिसका वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब उल जवाब दिया गया। जिनके आधार पर तनकीयात कायम कर वादी साक्ष्य भी करवाई गई।
5. दिनांक 18.03.2021 को न्यायालय द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के विद्वांन अधिवक्ताओं के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा चिमनगढ की विवादीत आराजी में खसरा नम्बर क्रमश 278 रकबा 2.70 हेक्टेयर के मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2021/345 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवाडा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व/2021/699 दिनांक 04.08.2021 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये है।
6. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारन को पढकर सुनाया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं को सुना गया। पत्रावली व संलग्न दस्तावेज व तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का भली–भांती अध्ययन किया गया। तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के बीच बंटवाडा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र.स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	जामा पुत्र राजा जाति कलबी सा0 देह खातेदार	278	2.70	1.35	बा. दो.	नीला	4.05
2.	पूराराम पुत्र वीराराम, भीखाराम पुत्र वीराराम, रामाराम पुत्र मोतीराम, लासी पत्नि मोतीराम, शंकरलाल पुत्र वीराराम, हरजीराम पुत्र हीराराम, अशोक कुमार पुत्र मोतीरात जाति कलबी सा0 देह खातेदार	278	2.70	1.35	बा. दो.	गुलाबी	4.05

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:28 IST
Reason: SelfAttested

7. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के बीच पृथक–पृथक खाते खोलकर एवं मोमीयॉ नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को आदेशित किया जाता है। उक्त बंटवाडा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के हक में प्राप्त आराजी के संबंध में एक दुसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–सांचौर

निर्णय आज दिनांक 08.02.2024 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:28 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

वादीगण		प्रतिवादीगण
जामाराम वल्द राजाजी कौम कलबी निवासी चिमनगढ तहसील रानीवाडा जिला–जालोर	बनाम	1. रामाराम वल्द मोतीराम 2. अशोक कुमार वल्द मोतीराम 3. लीलादेवी बेवा मोतीराम कौम कलबी 4. भीखाराम वल्द वीराराम 5. पुराराम वल्द वीराराम 6. शंकरलाल वल्द हीराराम 7. हरजीराम वल्द हीराराम कौम कलबी साकिनान चिमनगढ तहसील रानीवाडा 8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रानीवाडा जिला–जालोर

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 41/2016

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता श्री ललित खत्री, प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के अधिवक्ता मोहनलाल विश्नोई उपस्थित। मनजानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	जामा पुत्र राजा जाति कलबी सा0 देह खातेदार	278	2.70	1.35	बा. दो.	नीला	4.05
2.	पूराराम पुत्र वीराराम, भीखाराम पुत्र वीराराम, रामाराम पुत्र मोतीराम, लासी पत्नि मोतीराम, शंकरलाल पुत्र वीराराम, हरजीराम पुत्र हीराराम, अशोक कुमार पुत्र मोतीरात जाति कलबी सा0 देह खातेदार	278	2.70	1.35	बा. दो.	गुलाबी	4.05

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:28 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार

रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 08.02.2024 को जारी की गई।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–सांचौर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	2	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	3	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:28 IST
Reason: SelfAttested